

क्रमांक: प.6(2)साप्र/5/2019-00065

जयपुर, दिनांक: 03-10-2023

आज्ञा

राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 के नियम 31 के अन्तर्गत उप महाप्रबन्धक से महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2023-24 के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषानुसार वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर निम्नांकित उप महाप्रबन्धक को महाप्रबन्धक के पद पर वेतनमान Pay Matrix Level-15 (L-15) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति दिनांक
1.	श्री मनोज कुमार तिवाड़ी	01.04.2023

(दिव्यांगजन हेतु आरक्षित एक पद के विरुद्ध कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होने के कारण दिव्यांगजन आरक्षण को अग्रेषित किया जाता है)

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ० हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (जीजी), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
4. पे एण्ड अकाउण्ट्स ऑफिसर, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
5. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
6. संबंधित महाप्रबन्धक को प्रेषित कर लेख है कि फिलहाल अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।
7. निजी पत्रावली में रखने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

